

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र सं० :- ICDS/10035/10-2015 / 105/3 दिनांक 29-2-2016

प्रेषक,

श्रीमती वन्दना किनी
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :-

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को रूपये 4 लाख (चार लाख) का अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के संबंध में

प्रसंग :-

समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 666 (मु०) दिनांक 22.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प द्वारा बिहार राज्य में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उनके निकटतम आश्रित को रूपये 4 लाख (चार लाख) का अनुग्रह अनुदान भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

अनुग्रह अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

- (i) आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका/संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका की मृत्यु के उपरान्त उनके निकटतम आश्रित के द्वारा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में आवेदन पत्र, याचित कागजात, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित एवं पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- (ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन पत्र के जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर अपनी अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भेजेंगे।
- (iii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
- (iv) जिला पदाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे।
- (v) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अनुग्रह अनुदान हेतु आवंटन की माँग आईसीडीएस निदेशालय से करेंगे।
- (vi) इस राशि की निकासी हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं।
- (vii) आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी राशि की निकासी करेंगे एवं एकाउन्ट पेयी (A/C Payee) चेक के माध्यम से उचित पहचान पर निकटतम आश्रित को भुगतान करेंगे एवं एक सप्ताह के अन्दर व्यय प्रतिवेदन आई.सी.डी.एस.निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

(viii) जिला स्तर पर इस राशि का संधारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इससे संबंधित अंकेक्षण एवं लेखा संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेवारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की होगी।

(ix) यह राशि माँग संख्या 51 के अधीन राज्य योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत आय व्ययक बजट शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-102 बाल कल्याण- 0322 एकीकृत बाल विकास सेवार्य (आई0सी0डी0एस0) (विपत्र कोड- P 2235021020322) पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9197 विषय शीर्ष (31 02) अनुग्रह अनुदान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(x) यह प्रायधान दिनांक 27.07.2015 से प्रभावी माना जाएगा तथा उक्त तिथि के पश्चात इसका लाभ दिया जा सकेगा।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

80/-

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव

हापांक :- ICDS/10035/10-2015/ 105/3 दिनांक 29/2/2016
प्रतिलिपि -सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी
प्रधान सचिव
29/2/2016

क्रमांक 366 / दिनांक 4-3-16/

प्रतिलिपि :- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समन्वित जिला के सूचनार्थ एवं निदेश दिए जाते हैं कि ऊपर पत्र के आगे के अंतर्गत सभी परियोजना के पदाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रकाश में तैयार करके जिला प्रोग्राम कार्यालय समन्वित जिला के उपलब्ध स्थानाधिकृत से वांछित आबंटन की मांग विभाज से सम्पूर्ण प्रेषित करा जाए। स्पष्ट है कि विभाज वर्ष 2015-16 समाप्ति पर

प्रधान सचिव
29/2/16
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
(आई0 सी0 डी0 एस0 कोड- 9197)
समस्तीपुर

[परिशिष्ट-1]

ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित द्वारा अनुग्रह अनुदान हेतु दिये जाने वाले आवेदन का प्रारूप:-

खण्ड - क

1. मृत सेविका/सहायिका/संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका का नाम :-
2. ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या :-
(केवल सेविका/सहायिका हेतु)
3. परियोजना का नाम :-
4. जिला का नाम :-
5. जन्म तिथि :-
6. पिता/पति का नाम :-
7. स्थायी पता :-
8. नियोजन की तिथि :-
9. मृत्यु की तिथि :-
10. मृत्यु का कारण :-
11. कुल सेवा अवधि :-
12. मृत्यु प्रमाण पत्र :-
(संलग्न है अथवा नहीं)
13. मृतक के निकटतम आश्रित का नाम एवं मृतक के साथ संबंध :-
(अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के साथ)
14. अनुग्रह अनुदान हेतु प्रस्तावित राशि :-
15. निकटतम आश्रित का बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम :-

(प्रमाण पत्र - प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सही है एवं गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी)

जॉचकर्ता का हस्ताक्षर

निकटतम आश्रित
का हस्ताक्षर

+ नोट :- सेविका/सहायिका की स्थिति में महिला पर्यवेक्षिका एवं महिला पर्यवेक्षिका की स्थिति में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

प्राप्ति रसीद

श्रीमती पति का नाम
परियोजना ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका/संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका
की मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में उल्लेखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति
के साथ आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या है।

दिनांक :-
स्थान :-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पदनाम)

खण्ड - ख

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मेरे अधीन सेविका/सहायिका/संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत थी। सेवा अवधि में इनका देहान्त दिनांक को हुई है, जो सत्य एवं सही है।

बा०वि०परि०पदा० का हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुरासा के आधार पर श्रीमती का निधन सेवा अवधि में हो जाने के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान 4 लाख (चार लाख) रुपये भुगतान की स्वीकृति हेतु अनुरासा की जाती है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
(मुहर सहित)

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अनुरासा के आधार पर स्व० के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति दी जाती है। इसका भुगतान एकाउन्ट पेयी (A/C Payee) चेक के माध्यम से की जाये।

जिला पदाधिकारी
(मुहर सहित)